

अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004
दूरभाष/Tel:- (0755) 2576751. फ़ैक्स/Fax:- (0755) 2552219

क्रमांक/4/शैक्ष/एच/2011 2713

भोपाल, दिनांक...26/9/11

// आदेश //

प्र.क्र. 14891/2011 पर पारित माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा पारित आदेश एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बारहवीं में गठित विषय का अध्ययन नहीं किया है किन्तु स्नातक स्तर पर बीसीए में गणित विषय का अध्ययन किया है, को एमसीए पाठ्यक्रम में अंतरिम रूप से प्रवेश दिये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरित आदेशानुसार निम्नलिखित आठ वादी विद्यार्थियों को अंतरिम रूप से काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जाता है तथा ये विद्यार्थी 30 सितम्बर अथवा उसके पूर्व प्रचलित संस्था स्तर की काउंसिलिंग के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन काउंसिलिंग में शामिल करने हेतु उक्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश में यदि प्रकरण खारिज किया जाता है तो वादियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा किसी भी तरह का शुल्क जो कि काउंसिलिंग के दौरान जमा किया गया है वापिस नहीं किया जावेगा।

इसी तरह के अन्य प्रकरणों में भी मान्. न्यायालय द्वारा पारित आदेश पारित किये गए हों वो उम्मीदवार भी 30 सितम्बर अथवा उससे पूर्व काउंसिलिंग हेतु एमपी-ऑनलाईन कार्यालय निरूपम शापिंग माल होशंगाबाद रोड, भोपाल में उपस्थित हो सकते हैं।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक...26/9/11

पृ० क्रमांक/4/शैक्ष/एच/2011 2714
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 14891/2011 पारित आदेश के परिपालन के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक /1715/2254/2011/42(1), दिनांक 24 सितंबर 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.सी. ऑनलाइन लि. भोपाल की ओर उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरण के निर्णय के परिपालन में वादीगणों को काउंसिलिंग में सम्मिलित करने की कार्यवाही करें।
4. उक्त प्रकरण के संदर्भ में निम्नांकित विद्यार्थियों इस निर्देश के साथ की वे काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये दिनांक 30/09/2011 अथवा उसके पूर्व एमपीऑन लाईन लिमिटेड, निरूपम काम्प्लेक्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल में श्री आई. के. अग्रवाल/श्री मनोज सिंह काउंसिलिंग अधिकारी के समक्ष कार्यलयीन समय में रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित हों।

Harish Astankar, S/o Shrikaran Astankar, R/o 652, Green City Madotak, Jabalpur (M.P.)

Richa Patal, D/o Shri Vishwanath Patel, R/o 1905, Kanchanpur Adhartal Jabalpur (M.P.).

Ranjeet Singh, S/o Shri H. N. Singh, R/o CMM (FOLS), C/o 56, Apo, Jabalpur (M.P.).

Sandeep Singh Bhandari, S/o Shri P.S. Bhandari, R/o H/10, SFRI Gwarighat, Jabalpur (M.P.)

Neha Lalwani, D/o Bhagwandas Lalwani, R/o Sant Nagar (west) Jagmohan Das ward Katni (M.P.).

Shivangi Yadav, D/o Shri Ashok Yadav, R/o 1014, Chandmari Road, Jabalpur (M.P.).

Abhishek Choudhary, S/o Shri Hari Govind Singh Choudhary, R/o 1867, Wright Town, Jabalpur (M.P.).

Vikrant Puri Goswami, S/o Shri Sujan P. Goswami, R/o Suhagi Indra Nagar, Jabalpur (M.P.).

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्य प्रदेश